प्रेस नोट दि0-18.09.2025 जनपद- प्रतापगढ़

थाना- दिलीपपुर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत शहीद गेट शिवसत से इंजीनियरिंग कालेज के पास थाना दिलीपपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी-

घायल अभियुक्त मान सिंह को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर मय 04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट का नकदी 2200 रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बजाज अवेंजर बरामद किये गये-

दिनांक 16.09.2025 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम द्वारिकापुर में 01 व्यक्ति से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसे व मोबाइल छीनकर भाग गये। उक्त प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 157/25 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति नाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 17.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत शहीद गेट शिवसत से इंजीनियरिंग कालेज के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित शातिर अभियुक्त मान सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 31 वर्ष के बायें पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर मय 04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट का नकदी 2200 रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बजाज अवेंजर बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 158/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मान सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 31 वर्ष।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष दिलीपपुर श्री अंकुर कैथवास मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, उ0नि0 पंकज कुमार, आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी जगदीश कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण,02 अभियुक्त गिरफ्तार व चोरी का माल बरामद

थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने-चाँदी के आभूषण, नगद धनराशि, इन्वर्टर-बैटरी, साड़ियाँ, बर्तन, कम्बल सहित घर से चोरी किया गया अन्य सामान तथा घटना में प्रयुक्त कूटरचित वाहन हुंडई वरना बरामद किया।

अभियुक्तों को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत लखनूडीह मोड़ नहर पटरी ग्राम लखनूडीह से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी निवासी ग्राम पंचायत अरेला पो0 ढिढुई सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ वर्तमान में कन्नौज में नौकरी करता है। वादी के दो भाई गुजरात में कार्यरत हैं। घर पर बनी बाउड़ी एवं ट्यूबवेल की चाभी पारिवारिक भाई के पास रहती है। दिनांक 25.08.2025 को पारिवारिक भाई द्वारा बाउड़ी गेट खोलकर पोर्च की लाइट चेक करते समय ताले टूटे एवं अन्दर सामान बिखरा पाया गया। सूचना पर वादी घर पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि घर से इन्वर्टर बैट्री, सोने-चाँदी के आभूषण, नकद ₹1,80,000/-, सूटकेस सहित साड़ियाँ, बर्तन एवं कम्बल चोरी हो गये हैं। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 259/25 धारा 331(4), 305/317(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आसपुर देवसरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 उपदेश कुमार मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार व का0 गौतम मौर्या व का0 विनय कुमार व का0 मोनू कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा मे पंजीकृत मु0अ0सं0 259/25 धारा

331(4),305/317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. अनुभव सिंह उर्फ मनुज सिंह उर्फ मुण्डे पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम गोबिन्दुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2. रंजेश पुत्र रामदौड़ रैदास निवासी ग्राम गोबिन्दुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत लखनूडीह मोड़ नहर पटरी ग्राम लखनूडीह से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तोंें के कब्जे से 02 जोड़ी झूमकी (पीली धातू) व 07 जोड़ी पायल नई (सफेद धातू) व 02 अंगुठी (पीली धातू), 03 जोड़ी पायल (सफेद धातू) व 3800 रूपये नगद तथा 01 बोरी में 14 साड़ी महिला, 02 अदद कम्बल तथा 01 प्लास्टिक की बोरी में बर्तन (पीतल व स्टील के), 01 प्लास्टिक की बोरी में इन्वर्टर व 01 बैटरा तथा घटना में प्रयुक्त कूटरचित 01 अदद चार पहिया वाहन होण्डई वरना बरामद किया गया है।उक्त बरामदगी व वाहन के कूट रचित होने के कारण मु0अ0सं0 259/25 में धारा 317(2)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. अनुभव सिंह उर्फ मनुज सिंह उर्फ मुण्डे पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम गोबिन्दुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
02. रंजेश पुत्र रामदौड़ रैदास निवासी ग्राम गोबिन्दुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी-
02 जोड़ी झूमकी (पीली धातू) व 07 जोड़ी पायल नई (सफेद धातू) व 02 अंगुठी (पीली धातू), 03 जोड़ी पायल (सफेद धातू) व 3800 रूपये नगद तथा 01 बोरी में 14 साड़ी महिला, 02 अदद कम्बल तथा 01 प्लास्टिक की बोरी में बर्तन (पीतल व स्टील के), 01 प्लास्टिक की बोरी में इन्वर्टर व 01 बैटरा तथा घटना में प्रयुक्त कूटरचित 01 अदद चार पहिया वाहन होण्डई वरना बरामद किया गया।

पुलिस टीम-
उ0नि0 उपदेश कुमार मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार व का0 गौतम मौर्या व का0 विनय कुमार व का0 मोनू कुमार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मारपीट व जानलेवा हमला के प्रकरण से संबंधित वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्तों को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहेरुआ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक- 10-08-2025 को वादी निवासी ग्राम सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को विपक्षीगण सुरेश मिश्र उर्फ गोरई पुत्र राम हौसिला व गुलाब शंकर पुत्र सुरेश, कमला शंकर उर्फ संदीप पुत्र सुरेश मिश्र, कप्तान पुत्र सुरेश मिश्र नि०

ग्रा० उपरोक्त के द्वारा एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी, लाठी-डण्डा से मार-पीट करना जिससे वादी बेहोश हो गया एवं जान से मारने की धमकी दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 86/25 धारा- धारा 352/109(1)/115(2)/351 (3)/324 (2) BNS बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 उमाशंकर सिंह प्रभारी चौकी शनिदेवधाम मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह, का0 विनय पटेल व का0 राजकुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 86/25 धारा- धारा 352/109(1)/115(2)/351(3)/324 (2) BNS से संबंधित वांछित 03 अभियुक्तों, 1. सुरेश मिश्रा उर्फ गोरई पुत्र राम हौसिला मिश्रा उम्र करीब 55 वर्ष, 2. गुलाब शंकर मिश्रा पुत्र सुरेश कुमार मिश्रा उम्र करीब 24 वर्ष, 3. कमला शंकर मिश्रा उर्फ संदीप उर्फ दरोगा पुत्र सुरेश मिश्रा उम्र करीब 22 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सुरेश मिश्रा उर्फ गोरई पुत्र राम हौसिला मिश्रा उम्र करीब 55 वर्ष,
2. गुलाब शंकर मिश्रा पुत्र सुरेश कुमार मिश्रा उम्र करीब 24 वर्ष,
3. कमला शंकर मिश्रा उर्फ संदीप उर्फ दरोगा पुत्र सुरेश मिश्रा उम्र करीब 22 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 उमाशंकर सिंह प्रभारी चौकी शनिदेवधाम मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह, का0 विनय पटेल व का0 राजकुमार यादव थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही – गोलीकांड प्रकरण से जुड़ा वांछित अभियुक्त दबोचा गया

थाना जेठवारा पुलिस की सक्रियता से वांछित अभियुक्त अवैध असलहे सहित गिरफ्तार

गोलीकांड में शामिल वांछित अभियुक्त जीशान उर्फ बाबा पुलिस गिरफ्त में

जीशान उर्फ बाबा उर्फ छोटू पुत्र इब्राहिम थाना बाघराय व थाना महेशगंज से वांछित है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना जेठवारा श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह का० पुष्पेन्द्र व का० दिनेश, कां0 जय प्रकाश यादव कां0 आशुतोष चौबे द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय मे पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0-101/25 धारा 109,190,191 (2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त जीशान उर्फ बाबा उर्फ छोटू पुत्र इब्राहिम उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम मादिपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा कारतूस के साथ थानाक्षेत्र जेठवारा के भवानीगढ़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

उक्त अभियुक्त थाना महेशगंज के मु0अ0सं0- 112/25 धारा 191 (2),191 (3), 190, 109(1),352, 351 (3),बीएनएस तथा 3(1)द, ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में भी वांछित अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जीशान उर्फ बाबा उर्फ छोटू पुत्र इब्राहिम उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम मादिपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

बरामदगीः-
एक अदद नाजायज देशी तमंचा 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

पूछताछ का विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि बरामद तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए बता रहा है कि सर दिनांक 05.06.2025 को मै अपने दोस्त इमरान, अन्नू उर्फ सुनील, धर्मेन्द्र सरोज, वीरेन्द्र यादव के साथ महेशगंज क्षेत्र मे अन्नावा गया था जहां पर हम लोगो का पिन्टू सरोज से कुछ विवाद हो गया था तथा उसी विवाद मे आक्रोश मे आकर इमरान ने पिन्टू सरोज पर गोली चला दिया था तथा हम सभी लोग मौके से भाग गये थे लेकिन थाना बाघराय पुलिस व महेशगंज की पुलिस ने हम लोगो को थाना बाघराय क्षेत्र मे घेर लिया तो मै अपने दोस्तो के साथ मौके से भाग गया था मेरा एक दोस्त बीरेन्द्र यादव पुत्र बसंत कुमार यादव उपरोक्त मौके से पकडा गया था। साहब मेरे व मेरे दोस्तो के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तब से मै पुलिस से छिपकर रह रहा था। आज मै अपने घर जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड लिया। साहब यह वही तमंचा है जिससे इमरान ने पिंटू सरोज के उपर फायर किया था।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह का० पुष्पेन्द्र व का० दिनेश, कां0 जय प्रकाश यादव, कां0 आशुतोष चौबे थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद – प्रतापगढ़

लखनऊ–प्रयागराज हाईवे पर थाना मानिकपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार से हुई दर्दनाक दुर्घटना, 03 व्यक्तियों की मृत्यु, 01 गंभीर घायल – अभियुक्त गिरफ्तार

तेज रफ्तार कार से भीषण दुर्घटना – 03 मृत, 01 घायल, आरोपी चालक गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही – हादसे में 03 की मौत, अभियुक्त हिरासत में

प्रतापगढ़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

दिनांक 16.09.2025 को सायं लगभग 08:00 बजे थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ–प्रयागराज हाईवे पर मिरगढ़वा चौराहे के निकट प्रयागराज से लखनऊ जा रही एक नीले रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना पर तत्काल थाना मानिकपुर पुलिस व स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य किया गया । सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी कालाकांकर व जिला अस्पताल रायबरेली भेजा गया । उपचार के दौरान 03 घायलों की मृत्यु हो गई।

प्रतापगढ़।
प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 184/25 धारा 105 बीएनएस बनाम नीले रंग की स्विफ्ट डिजायर कार UP 32 MF 9903 का चालक शक्ति मिश्रा पुत्र सतीश मिश्रा निवासी देवारोड थाना चिनहट जनपद लखनऊ, 2. दिशा साहनी पुत्री दिलीप कुमार साहनी नि0 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली बाराबंकी का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय आईपीएस व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीपनारायण के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शिशर पटेल मय हमराह कां0 शिवशंकर द्वारा मु0अ0सं0 184/2025 धारा 305 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शक्ति मिश्रा पुत्र सतीश मिश्रा निवासी देवारोड थाना चिनहट जनपद लखनऊ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त
शक्ति मिश्रा पुत्र सतीश मिश्रा निवासी देवारोड थाना चिनहट जनपद लखनऊ

पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री शिशिर पटेल मय हमराह का0 शिवशंकर थाना मानिकपुर जनपद – प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना अन्तू पुलिस ने दुष्कर्म अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को दबोचा

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही – दुष्कर्म मामले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अन्तू पुलिस की सक्रियता से वांछित अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में

प्रतापगढ़।
दि०- 19.07.2025 को वादी निवासी थाना अन्तू क्षेत्रातंर्गत की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 87, 64(2)(एम), 115(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुरेश कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त कृष्णा सोनी उर्फ किशन पुत्र विजय कुमार सोनी निवासी गोबरी थाना अंतू प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष को थानाक्षेत्र अन्तू के चमनगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. कृष्णा सोनी उर्फ किशन पुत्र विजय कुमार सोनी निवासी गोबरी थाना अंतू प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 सुरेश कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़